(1)

न्यायालय श्री मान, राजस्व मंडल ग्वालियर म. प्र.

R-1454-II/2010

1 -अम्बिका प्रसाद तनय श्री रामायण प्रसाद ब्रा. निवासी देवरा तह. मझगवां सतना म. प्र.

2-- रमावतार अग्रवाल तनय श्री शिवरतनलाल अग्रवाल साकिन जैतवारा पं[illegible] लाल, गुलाबचन्द्र अग्रवाल, निवासी जैतवारा तह. बिरसिंहपुर जिला सतना म. प्र.

प्रस्तुत Ad. 0-10 3-20 p.m.

..... निगरानीकर्ता/आवेदक

बनाम

म. प्र. शासन

..... गैर निगरानीकार/अनावेदक

द्वारा पी.के. तिवारी अभिभाषक.... आज ... ।

14.10.10

अवर सचिव
राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर

निगरानी विरुद्ध आदेश आयुक्त महो. रीवा संभाग रीवा के प्र. क्र. 2/निग./2009/10 आदेश दि. 3.8.2010.

================================

म. प्र. भू. रा. सं. 1959 की धारा 50 का.मा.।

---------------------------------------------

मान्यवर,

अ– सरला देवी अग्रदाल पत्नी स्व. श्री रामावतार अग्रवाल।

ब– राघवेन्द्र अग्रवाल पुत्र स्व. श्री रामावतार अग्रवाल।

स– राजेश कुमार अग्रवाल पुत्र स्व. श्री रामावतार अग्रवाल।

द– रोहित अग्रवाल पुत्र स्व. श्री रामावतार अग्रवाल समस्त निवासी– ग्राम तैतवारा तहसील मझगवॉ, जिला सतना (म.प्र.)

(24)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
आदेश पृष्ठ
भाग – अ

(सतना)

निगरानी 1454–दो/2010

अम्बिका प्रसाद आदि विरूद्ध म0प्र0 शासन

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही अथवा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 23–7–2018 | उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया।<br>2/ आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण कमांक 02/निगरानी/09–10 में पारित आदेश दिनांक 03–08–2010 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।<br>3/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन भूमि शासकीय पट्टे की होकर आवेदक कमांक 1 अम्बिका प्रसाद को वारिसाना नामांतरण में प्राप्त हुई। आवेदक कमांक 1 अम्बिका प्रसाद द्वारा आवेदक कमांक 2 रामावतार अग्रवाल को प्रश्नाधीन भूमि का विकय किया जिसकी अधिकारिता आवेदक कमांक 1 को नहीं थी। आवेदक द्वारा भूमि विकय करने से पट्टे की शर्तों का उल्लंघन किया। राजस्व निरीक्षक ने नामांतरण किया तथा नायब तहसीलदार ने शासकीय पट्टेदार के स्थान पर आवेदक कमांक 2 को भूमिस्वामी दर्ज किया जिसकी अधिकारिता नायब तहसीलदार को नहीं थी। कलेक्टर ने उपरोक्त राजस्व निरीक्षक के आदेश एवं नायब तहसीलदार के आदेश को निरस्त कर भूमि पूर्ववत शासकीय दर्ज करने के आदेश दिये हैं। कलेक्टर के | |

उक्त आदेश को आयुक्त रीवा संभाग द्वारा स्थिर रखा गया है। दर्शित परिस्थितियों में कलेक्टर एवं आयुक्त का आदेश उचित होने से स्थिर रखा जाता है। निगरानी निरस्त की जाती है। आयुक्त रीवा संभाग रीवा का आदेश दिनांक 03–08–2010 स्थिर रखा जाता है।

पक्षकार सूचित हों। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

23/7/18

(आर0 के मिश्रा)
सदस्य